

अध्याय II

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 यह अध्याय विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा विनियोग का अनुदानवार विवरण प्रस्तुत करता है साथ ही उस रीति को भी प्रकट करता है जिससे विनिहित स्रोतों का प्रबंधन सेवा प्रदाता विभाग द्वारा हुआ। इसके अतिरिक्त, बजटीय कार्यविधि तथा बजट पूर्वधारणा की लेखापरीक्षा से उठी टिप्पणी इस अध्याय में शामिल किया जा रहा है।

विनियोग लेखा सरकार के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दत्तमत और भारित व्ययों का लेखा है जो विनियोग की विनिर्दिष्ट अनुसूची में विभिन्न उद्देश्यों के लिए दत्तमत अनुदान एवं भारित विनियोग की राशियों के अनुरूप है। ये लेखे, मूल अनुदान, पूरक अनुदानों, बचतों, अभ्यर्पणों एवं पुनर्विनियोगों की स्पष्ट सूची बनाते हैं तथा विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर राजस्व एवं पूँजीगत व्यय के साथ—साथ बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 द्वारा प्राधिकृत बजट के भारित एवं दत्तमत दोनों मदों को बताते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखा वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी को आसान बनाते हैं, वे वित्त लेखा के पूरक हैं।

2.1.2 भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोग लेखा की लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विविध अनुदानों में किया गया वास्तविक व्यय बिहार विनियोग अधिनियम, 2015 की प्राधिकृत राशि के अंतर्गत है तथा संविधान के अनुरूप भारित है। लेखापरीक्षा यह भी सुनिश्चित करती है कि, किया गया व्यय विधिसम्मत नियम, कानून, विनियम और निर्देशों के अनुरूप है।

2.1.3 फरवरी 2016 से प्रभावी बिहार बजट हस्तक (बि०ब०ह०) 2016 (पूर्व में बि०ब०ह०, 1963) के अनुसार विभिन्न विभागों से बजट अनुमान का आकलन प्राप्त कर वार्षिक बजट तैयार करने के लिए वित्त विभाग उत्तरदायी है। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा आय एवं व्यय का विभागीय अनुमान विभागाध्यक्षों की सलाह पर तैयार कर वांछित तिथियों को वित्त विभाग को समर्पित की जानी है। वित्त विभाग विस्तृत अनुमान संचित कर ‘अनुदानों की मँग’ तैयार करता है। बजट तैयार करने में, जहाँ तक संभव हो वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करने के निकट पहुँचना चाहिए। इस दुर्लभ कार्य, राजस्व प्राक्कलन एवं व्यय पूर्वानुमान, दोनों में दूरदर्शिता अपेक्षित है। किसी प्राक्कलन में परिहार्य अतिरिक्त प्रावधान उतनी ही बजटीय अनियमितता है जितनी कि स्वीकृत व्यय में अधिकता। बजट प्रक्रिया से तात्पर्य है कि किसी विशिष्ट मद पर व्यय के आकलन में प्रदत्त राशि वह राशि होनी चाहिए जिसे वर्ष में व्यय कर दी जाय। व्यय किये जाने वाले धन की बचत से उतनी ही वित्तीय अनियमितता होती है जितनी व्यय में अधिकता से। प्राप्तियों का बजट प्राक्कलन वर्तमान कर, शुल्क, फीस आदि के दर पर आधारित होनी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाये गये बजट एवं व्यय के प्रबंधन की कमियाँ तथा बजट नियमावली के उल्लंघन की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गयी है।

2.2 विनियोग लेखा का सारांश

वर्ष 2015–16 की अवधि के दौरान 51 अनुदानों/विनियोजनों के विरुद्ध किये गये व्यय की सारभूत स्थिति तालिका 2.1 में दर्शायी गयी है।

तालिका 2.1: वर्ष 2015–16 के मूल/पूरक प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/विनियोजन	पूरक अनुदान/विनियोजन	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-)/आधिक्य (+)	अभ्यर्पित राशि	31 मार्च को अभ्यर्पित राशि	(₹ करोड़ में) 31 मार्च का अभ्यर्पित बचतों की प्रतिशतता कालम 7/कालम 6 *100
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
दत्तमत	I राजस्व	83,316.23	20,769.18	1,04,085.41	76,782.77	(-) 27,302.64	17,173.96	11,787.66	62.90
	II पूँजीगत	24,853.01	6,207.04	31,060.05	24,046.02	(-) 7,014.03	6,716.04	3,939.22	95.75
	III ऋण एवं अग्रिम	728.93	361.82	1,090.75	621.23	(-) 469.52	468.61	93.93	99.81
कुल दत्तमत	1,08,898.17	27,338.04	1,36,236.21	1,01,450.02	(-) 34,786.19	24,358.61	15,820.81	70.02	
भारित	IV राजस्व	7,891.89	20.70	7,912.59	7,723.90	(-) 188.69	97.35	92.64	51.59
	V पूँजीगत	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VI लोक ऋण पुनर्भुगतान	3,895.28	268.49	4,163.77	4,124.85	(-) 38.92	0.00	0.00	0.00
कुल भारित	11,787.17	289.19	12,076.36	11,848.75	(-) 227.61	97.35	92.64	42.77	
आकस्मिकता निधि में विनियोजन (यदि कोई हो)									
महायोग	1,20,685.34	27,627.23	1,48,312.57	1,13,298.77	(-) 35,013.80	24,455.96	15,913.45	69.85	

नोट: कुल व्यय में ₹ 890.73 करोड़ के राजस्व व्यय की वसूली/वापसी तथा व्यय में कमी के रूप में समायोजित ₹ 80.00 करोड़ के पूँजीगत व्यय की प्राप्ति शामिल है।

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

जैसा कि तालिका 2.1 में दर्शाया गया है कि वर्ष 2015–16 में कुल प्रावधान ₹ 1,48,312.57 करोड़ था जिसमें मूल प्रावधान ₹ 1,20,685.34 करोड़ और पूरक प्रावधान ₹ 27,627.23 करोड़ शामिल था। कुल प्रावधान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के विरुद्ध सिर्फ ₹ 1,13,298.77 करोड़ व्यय हुआ। इस तरह ₹ 35,013.80 करोड़ की बचत हुई। वर्ष के दौरान प्राप्त ₹ 27,627.23 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान, मूल प्रावधान (₹ 1,20,685.34 करोड़) का 22.89 प्रतिशत था। कुल बचत ₹ 35,013.80 करोड़ की हुई जो कि ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल प्रावधान का 23.61 प्रतिशत था। ₹ 35,013.80 करोड़ की बचत राजस्व भाग के अंतर्गत 46 अनुदानों (₹ 27,302.64 करोड़) और आठ विनियोगों (₹ 188.69 करोड़) में तथा ₹ 7,014.03 करोड़ पूँजीगत भाग के अंतर्गत 30 अनुदानों में, ₹ 469.52 करोड़ ऋण एवं अग्रिम भाग के अंतर्गत 13 अनुदानों में और ₹ 38.92 करोड़ लोक ऋण पुनर्भुगतानों में हुई। एक विनियोजन के अंतर्गत योजना एवं विकास विभाग में ₹ 119.01 करोड़ का अधिक व्यय, उस विनियोजन में ₹ 135.04 करोड़ के बचत के बावजूद हुआ।

₹ 35,013.80 करोड़ के बचत के बावजूद ₹ 27,627.23 करोड़ का पूरक अनुदान का प्रावधान किया गया (जो कि बचतों का 78.90 प्रतिशत था) जो स्पष्ट रूप से निधि के त्रुटिपूर्ण प्राक्कलन तथा बजट प्राक्कलन पर नियंत्रण तंत्र की कमी को प्रदर्शित करता है। अनावश्यक पूरक प्रावधानों के मामलों की चर्चा कंडिका 2.3.5 में की गयी है। वर्ष के दौरान कुल बचत ₹ 35,013.80 में से 69.85 प्रतिशत (₹ 24,455.96 करोड़) ही अभ्यर्पित किये गये। 31 मार्च 2016 को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़), कुल अभ्यर्पित राशि ₹ 24,455.96 करोड़ का 65.07 प्रतिशत था। इसके अतिरिक्त ₹ 10,557.84 करोड़

(कुल बचत का 30.15 प्रतिशत) की राशि को अभ्यर्पित नहीं किया जा सका। महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार द्वारा नियंत्री पदाधिकारियों को बचत/आधिक्य की सूचना दी गयी थी (अगस्त 2016) परंतु आधिक्य/बचत संबंधी उनके स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हुए (अगस्त 2016)।

2.3 वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन

2.3.1 पिछले वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

बिंब 00, 2016 के नियम 105 निर्दिष्ट करता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड 1 (ख) और 2 के अधीन, अगर किसी वित्तीय वर्ष में किसी सेवा के लिए स्वीकृत रकम से अधिक रकम खर्च की जाती है, तो ऐसी अधिक राशि की मांग विधान सभा में प्रस्तुत करनी होगी और उसके साथ वही बर्ताव करना होगा जैसा अनुदानों की मांग के साथ किया जाता है। नियम 106 के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष के विनियोग लेखा के संकलन एवं लोक लेखा समिति द्वारा विचार करने के बाद ही अधिक अनुदान की मांग किसी खास वर्ष में अनुदान से अधिक किये गये व्यय को नियमित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। तथापि, पूर्ववर्ती¹ वर्षों के ₹ 1,065.07 करोड़ के आधिक्य व्यय की राशि का नियमितिकरण होना बाकी था जैसा कि परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है। यथोष्ट अवधि तक आधिक्य व्यय का नियमितिकरण नहीं किया जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.2 वर्ष 2015–16 की अवधि में प्रावधान से अधिक व्यय का नियमितिकरण अपेक्षित

जैसा कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है, योजना एवं विकास विभाग में वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य के संचित निधि में प्रावधानित राशि से अधिक ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय का नियमितिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के खण्ड 1 (ख) और 2 के अंतर्गत करने की आवश्यकता थी।

तालिका 2.2: वर्ष 2015–16 के दौरान आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान का नाम एवं संख्या	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	व्यय	आधिक्य
पूँजीगत–दत्तमत						
1	35—योजना एवं विकास विभाग	1,684.19	499.79	2,183.98	2,302.99	119.01

(स्रोत: विनियोग लेखा, बिहार सरकार, वर्ष 2015–16)

2.3.3 विनियोजन तथा आवंटन प्राथमिकता

बिंब 00, 2016 के नियम 65 (बिंब 00, 1963 के नियम 65) के अनुसार नियंत्री अधिकारी को यह देखने के लिए संवितरण अधिकारियों से प्राप्त अनुमानों की जाँच करनी चाहिए कि वे सही हैं, ब्यौरे और स्पष्टीकरण (जहाँ अपेक्षित है) दिये गए हैं और स्पष्टीकरण (जहाँ दिये गए हैं) पर्याप्त हैं। अगर अपर्याप्त हो तो उपबंध में फेरबदल किया जाना चाहिए। आगे बिंब 00, 2016 के नियम 70 (बिंब 00, 1963 के नियम 78) के अंतर्गत अनुमानों की प्रतियाँ प्राप्त होने पर प्रशासी विभाग और वित्त विभाग द्वारा उनकी जाँच की जानी चाहिये, और जाँच की जरूरत वाले बिंदुओं के मामले में महालेखाकार से बजट रसीद की प्रतीक्षा किए बगैर तत्काल उपाय करना चाहिए। प्रशासी विभागों को चाहिए कि वे जाँच की जरूरत वाले बिंदुओं को खोजने के लिए वित्त विभाग का इंतजार नहीं करके, प्राप्त होते ही

¹ 1977-78 से 1978-79, 1981-82 से 1984-85, 1986-87 से 1999-00, 2003-04 से 2005-06, 2010-11 और 2014-15 /

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

अनुमान की जाँच की दिशा में बढ़े। प्रशासी विभाग द्वारा जाँच का मकसद पुनरीक्षित और बजट अनुमानों में किए अधिक या अपर्याप्त उपबंधों का पता लगाना है जिन्हें वास्तविक स्थितियों की अधिक गहन जानकारी होने के कारण वे वित्त विभाग की अपेक्षा अधिक आसानी से कर सकते हैं। यह नितांत आवश्यक है कि वित्त विभाग द्वारा जारी बजट पर्चियों का उत्तर पाने में विलंब नहीं हो। इसे तभी हासिल किया जा सकता है जब वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट बिंदु पर, संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा पहले ही विचार किया गया हो और उनके द्वारा पहले ही पूछताछ की गई हो। यह अत्यंत महत्व की बात है कि किसी बजट पर्ची का उत्तर सामान्यतः प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर दे दिया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में पर्ची को एक पखवारे से अधिक अनुत्तरित नहीं रहना चाहिए।

विनियोजन लेखापरीक्षा के निष्कर्ष से प्रकट हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान 24 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत बचत के 30 मामले थे, प्रत्येक मामला ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक का था जो कुल प्रावधान (₹ 81,337.10 करोड़) का (35.35 प्रतिशत) ₹ 28,752.26 करोड़ था जैसा कि परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है। आगे 29 अनुदानों में ₹ 27,566.38 करोड़ बचत हुई, प्रत्येक मामलों में 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक का था जैसा कि परिशिष्ट 2.2 (क) में दर्शाया गया है।

₹ 100 करोड़ से अधिक बचत वाले कुछ मामलों की समीक्षा निन्नवत है:

(i) अनुदान संख्या 16—“पंचायती राज विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 1,100.78 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 2,893.00 करोड़, मूल प्रावधान ₹ 4,364.32 करोड़ से कम था। ₹ 2,572.10 करोड़ का बचत, कुल प्रावधान (₹ 5,465.10 करोड़) का 47.06 प्रतिशत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(ii) अनुदान संख्या 21—“शिक्षा विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 24,455.31 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 18,641.41 करोड़ था परिणामतः ₹ 5,813.90 करोड़ (23.77 प्रतिशत) की बचत हुई। इस प्रकार पूरक प्रावधान ₹ 3,695.40 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत मुख्यतः शीर्ष 2202—सामान्य शिक्षा—01—प्रारंभिक शिक्षा—101—राजकीय प्राथमिक विद्यालय—0001—राजकीय प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय (₹ 1,240.45 करोड़), 111—सर्व शिक्षा अभियान—0201—सर्व शिक्षा अभियान (एस0एस0ए0) (₹ 980.01 करोड़); 112—विद्यालयों में मध्यान भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम—0203—प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एम0डी0एम) (₹ 513.69 करोड़); 02—माध्यमिक शिक्षा—109—राजकीय माध्यमिक विद्यालय—0001—अन्य विद्यालय (₹ 234.12 करोड़); 110—अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—0209—मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की स्कीम (₹ 164.92 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(iii) अनुदान संख्या 42—“ग्रामीण विकास विभाग” (राजस्व-दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 7,082.45 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 3,528.41 करोड़ था परिणामतः ₹ 3,554.04 करोड़ (50.18 प्रतिशत) की बचत हुई। इस प्रकार पूरक प्रावधान ₹ 2,109.79 करोड़ पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ। बचत मुख्यतः शीर्ष 2505—ग्रामीण रोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यक्रम—701—राष्ट्रीय ग्राम रोजगार कार्यक्रम—0102—मुख्यालय स्थापना (₹ 3.22 करोड़); 789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0301—महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

(₹ 16.80 करोड़); 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—00—102—सामुदायिक विकास—0001—प्रखंड स्थापना (₹ 5.20 करोड़) के अंतर्गत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(iv) अनुदान संख्या 48—“नगर विकास एवं आवास विभाग” (राजस्व—दत्तमत)

पूरक प्रावधान ₹ 941.30 करोड़ अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि कुल व्यय ₹ 1,977.47 करोड़, मूल प्रावधान (₹ 2,169.85 करोड़), से कम था। बचत ₹ 1,133.68 करोड़, कुल प्रावधान (₹ 3,111.15 करोड़) का 36.44 प्रतिशत था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

(v) अनुदान संख्या 03—“भवन निर्माण विभाग” (पूंजीगत—दत्तमत)

कुल प्रावधान ₹ 2,985.37 करोड़ के विरुद्ध व्यय केवल ₹ 1,638.23 करोड़ था परिणामतः ₹ 1,347.14 करोड़ (45.12 प्रतिशत) की बचत हुई। आगे, पूरक प्रावधान के जरिये अतिरिक्त निधि का प्रावधान (₹ 550.58 करोड़) अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय, मूल प्रावधान (₹ 2,434.79 करोड़) से कम था।

अंतिम बचत के कारणों की सूचना नहीं दी गयी है।

2.3.4 सतत बचत

दस अनुदानों/विनियोजनों (विभागों) में प्रत्येक मामले में ₹ 50 करोड़ से अधिक की सतत बचत हुई तथा यह गत पाँच वर्षों के दौरान कुल अनुदान का 11 से 69 प्रतिशत के बीच था जैसा कि परिशिष्ट 2.3 में दर्शाया गया है। जिनमें से ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक की सतत बचत मुख्यतः पशु एवं मत्त्य संसाधन, वित्त, स्वास्थ्य, विधि, पथ निर्माण (राजस्व—दत्तमत) एवं भवन निर्माण, जल संसाधन, लघु जल संसाधन विभागों (पूंजीगत—दत्तमत) के अंतर्गत हुई।

सतत बचत दर्शाता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण प्रभावी नहीं था तथा इस वर्ष के निधि के आवटन में पिछले वर्षों के प्रवाह को ध्यान में नहीं लिया गया।

2.3.5 पूरक प्रावधान का औचित्य

बिंबोह०, 2016 के नियम 109 (बिंबोह०, 1963 के नियम 117) में पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया वर्णित है। इस नियम के अनुसार, जब प्रशासनिक विभाग विचार करे कि अनुपूरक अनुदान जरूरी है, चाहे वह व्यय के किसी नए विशेष मद को पूरा करने के लिए हो या अकल्पित परिस्थितियों के कारण मतदेय अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए तो उसे सबसे पहले वित्त विभाग से संपर्क करना चाहिये। अगर वित्त विभाग आपत्ति करता है और आपत्ति को सरकार द्वारा बरकरार रखा जाता है, तो नियंत्री अधिकारियों को अनुदान के अंतर्गत व्यय को रखने के लिये कदम उठाने का निर्देश तत्काल दे दिया जाना चाहिये। अनुपूरक मांग के मामले को मांग के कारणों को दर्शाते हुए तैयार किया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान 47 मामलों (36 अनुदानों/विनियोजनों) में प्राप्त कुल ₹ 13,900.49 करोड़ का पूरक प्रावधान जिसके प्रत्येक मामले में ₹ 10 लाख या अधिक शामिल था, अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं हुआ जैसा कि परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नियंत्री पदाधिकारी बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 11 के प्रावधानों को लागू कराने में विफल रहे। वास्तविक आवश्यकताओं का मूल्यांकन किये बगैर पूरक प्रावधानों की मांग नियंत्री पदाधिकारियों के नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.3.6 निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिहार, 2016 के नियम 97 (बिहार, 1963 के नियम 37) के अनुसार यह सुनिश्चित करना हर नियंत्री अधिकारी की जवाबदेही है कि वह कुल व्यय को अपने व्ययनाधीन रखे गये कुल अनुदान या विनियोग की सीमा में रखे और देखे कि विनियोग की हर इकाई के तहत होने वाला व्यय उस इकाई के तहत मूल रूप से किये गये उपबंध की सीमा में रहे। तथापि कुछ अत्यावश्यकताओं के कारण यह सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं हो सकता है कि विनियोग की हर इकाई के तहत होने वाला व्यय उस इकाई के तहत मूल रूप से किये गये उपबंध की सीमा में रहे। जहाँ कुछ खास उप-शीर्षों के तहत बचत हो सकती है, वहीं कुछ अन्य शीर्षों के तहत अधिक व्यय हो सकता है। ऐसे मामलों में कुछ शीर्षों में होने वाले अधिक व्ययों की पूर्ति अन्य शीर्षों से होने वाली बचत से किया जाना संभव है। एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में उपबंधों का ऐसा अंतरण पुनर्विनियोग के रूप में जाना जाता है।

विस्तृत विनियोजन लेखा तथा अनुदान अंकेक्षण पंजी के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि 28 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 123 उप-शीर्षों में ₹ 1,335.60 करोड़ की अतिरिक्त निधि पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदान की गयी थी वह पूर्णरूपेण अनावश्यक साबित हुआ क्योंकि अंतिम बचत ₹ 1,461.76 करोड़ थी जैसा कि **परिशेष्ट 2.5** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, चार मामलों में पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 152.05 करोड़ की निकासी अविवेकपूर्ण ढंग से की गयी जबकि ₹ 26.73 करोड़ का आधिक्य व्यय था, जैसा कि **तालिका 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.3: निधियों के पुनर्विनियोजन द्वारा अविवेकपूर्ण निकासी

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान सं०	लेखा शीर्ष एवं विवरण	कुल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन (-)	कुल अस्थर्पण	व्यय	अंतिम आधिक्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	09	2425-00-001-0002- अधीक्षण	66.91	0.05	3.57	63.40	0.11
2	41	5054-03-101-0104- मुख्यमंत्री पुल निर्माण योजना	400.00	85.00	14.37	301.24	0.61
3	49	4700-02-051-0101- गंडक बेसिन (कार्य) के सिंचाई परियोजना	406.53	47.00	0.68	365.30	6.45
4	49	4711-01-051-0101- उत्तरी बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना	314.00	20.00	15.42	298.14	19.56
योग			1,187.44	152.05	34.04	1,028.08	26.73

(स्रोत: अनुदान अंकेक्षण पंजी एवं विस्तृत विनियोग लेखा, वर्ष 2015-16)

अनुदान संख्या-9 के शीर्ष “2425-सहकारिता-00-001-निर्देशन एवं प्रशासन-0002-अधीक्षण” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 0.05 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 0.11 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

अनुदान संख्या-41 के शीर्ष “5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-101-सेतु-0104-मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 85 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 0.61 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

अनुदान संख्या-49 के शीर्ष “4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय-02-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजना (गैर वाणिज्यिक)-051-निर्माण-0101-गंडक बेसिन की सिंचाई परियोजनाएँ (कार्य)” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 47 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 6.45 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, अनुदान संख्या-49 के शीर्ष “4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-01-बाढ़ नियंत्रण-051-निर्माण-0101-उत्तरी बिहार बाढ़ नियंत्रण परियोजना” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये ₹ 20 करोड़ की निकासी हुई जबकि ₹ 19.56 करोड़ का आधिक्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अतिरिक्त निधि प्रदान करने के स्थान पर, निधि की निकासी पुनर्विनियोजन के जरिये की गई, जिससे दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन प्रदर्शित हुआ।

इसके अतिरिक्त, 131 मामलों में अनुपयोगित प्रावधान का समुचित आकलन नहीं हुआ क्योंकि पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,166.30 करोड़ की निकासी के बाद भी यह अपर्याप्त सिद्ध हुआ क्योंकि इन अनुदानों के संगत विस्तृत शीर्षों के अंतर्गत ₹ 3,478.35 करोड़ की बचत रह गयी जैसा कि **परिशिष्ट 2.6** में दर्शाया गया है।

उपर्युक्त उदाहरणों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि नियंत्री पदाधिकारी वास्तविक आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने में विफल रहे तथा उन्हें व्यय एवं पुनर्विनियोजन संबंधी अद्यतन सूचना नहीं थी।

2.3.7 वृहत् अभ्यर्पण

बिंबोहो, 2016 के नियम 104 (बिंबोह, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो, उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

कुल प्रावधान ₹ 17,072.50 करोड़ के 140 मामलों में से ₹ 11,511.27 करोड़ (67.43 प्रतिशत) अभ्यर्पित किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.7** में दर्शाया गया है। प्रत्येक इकाई के अंतर्गत अभ्यर्पण 50 से 99.97 प्रतिशत के बीच रहा (प्रत्येक मामले में ₹ पाँच करोड़ एवं कुल प्रावधान के 50 प्रतिशत से अधिक)।

इसके अतिरिक्त 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत-प्रतिशत निधि (₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण हुआ (**परिशिष्ट 2.8**) जिससे लाभार्थी इन योजनाओं से होने वाले लाभों एवं सेवाओं से वंचित रहे।

2.3.8 वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

बचत की राशि ₹ 251.54 करोड़ के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 254.48 करोड़ थी, फलतः ₹ 2.94 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण हो गया जैसा कि **तालिका 2.4** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.4: वर्ष 2015–16 के दौरान वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	अनुदान संख्या एवं नाम	कुल अनुदान	बचत	अभ्यर्पित राशि	आधिक्य में अभ्यर्पित राशि (५-४)=६
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पूँजीगत-दत्तमत					
1	49—जल संसाधन विभाग	1,737.63	251.54	254.48	2.94

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

अविवेकपूर्ण ढंग से अभ्यर्पित की राशि वास्तविक बचत से अधिक थी जो जल संसाधन विभाग में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण या कमी को दर्शाता है।

बचत निधि का अविवेकपूर्ण अभ्यर्पण, जो अस्तित्व में नहीं है, विभाग के नियंत्री पदाधिकारी के अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

2.3.9 अनुमानित बचतों का अभ्यर्पण नहीं किया जाना/विलंबित अभ्यर्पण

बिंबोह०, 2016 के नियम 104 (बिंबोह०, 1963 के नियम 112) के अनुसार बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवादस्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

वर्ष 2015–16 के अंत में बचत के 17 मामलों में (₹ एक करोड़ और अधिक तथा प्रत्येक मामले में 10 प्रतिशत से ज्यादा) ₹ 10,165.15 करोड़ में से ₹ 8,361.75 करोड़ (82.26 प्रतिशत) अभ्यर्पित नहीं किये गये जैसा कि **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त 84 मामलों में ₹ 23,168.70 करोड़, कुल प्रावधान ($76,485.12$ करोड़) का (30.29 प्रतिशत), प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से अधिक का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम कार्यों दिवस में किया गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

इससे पता चलता है कि नियंत्री पदाधिकारी बजटीय नियंत्रण के लिए जवाबदेह होने की मौलिक जिम्मेदारी के निर्वहन में विफल रहे। इन निधियों का उपयोग न तो उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए जिनके लिए ये आवंटित की गयी थी न ही अन्य जरूरतमंद शीर्षों के उपयोग के लिए पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया गया।

2.3.10 सघन व्यय

बिंबोह०, 2016 के नियम 125 (बिंबोह०, 1963 के नियम 113) के अनुसार बिलंब से होने वाले आवंटनों से परहेज करना चाहिए जब तक कि अपरिहार्य न हो। वर्ष के आखिर में किसी संवितरण अधिकारी के व्ययाधीन राशि अक्सर फिजुलखर्ची और जल्दबाजी में खर्च को आमंत्रित करती है।

दस विभागों के अंतर्गत, कुल व्यय का 35 प्रतिशत से अधिक का व्यय मार्च 2016 के दौरान हुआ जिसे **परिशिष्ट 2.11** में सूचीबद्ध किया गया है। इन मामलों में 10 विभागों के अंतर्गत ₹ 7,907.35 करोड़ का व्यय, कुल व्यय (₹ 18,514.17 करोड़) का 42.71 प्रतिशत, मार्च 2016 में हुआ। इस प्रकार, वर्ष के अंतिम भाग में विभाग द्वारा वृहत् राशि का व्यय, दोषपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा व्यय पर प्रभावी नियंत्रण का अभाव तथा केवल वित्तीय वर्ष के अंतिम भाग में बजट का उपयोग करने की प्रवृत्ति को दर्शाता है।

2.4 बजटीय प्रावधान के व्यपगत होने से बचने के लिए निधि का आहरण

बिहार कोषागार संहिता, 2011 (बी०टी०सी०, 2011) के नियम 176 के अनुसार उपगत सभी व्यय की निकासी तुरंत करके उनका भुगतान अवश्य कर देना चाहिए और जब तक तत्काल भुगतान हेतु आवश्यक न हो, कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। बी०टी०सी०, 2011 के नियम 177 के अनुसार माँगों की प्रत्याशा में या बजट अनुदानों का व्यपगत हो जाने से बचाने के लिए कोषागार से राशि की निकासी नहीं की जानी चाहिए। यदि विशेष परिस्थितियों में सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के अधीन अग्रिम राशि की निकासी की जाती है, तो इस प्रकार निकासी की गयी राशि में से खर्च नहीं की गई राशि को अगले विपत्र में या चालान के साथ अल्पकालिक निकासी (शॉर्ट ड्रावल) द्वारा कोषागार में शीघ्रताशीघ्र वापस कर देना चाहिए और किसी भी तरह जिस वित्तीय वर्ष में उस राशि की निकासी हुई हो, उसके अंत के पहले ही कर देना चाहिए। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस आशय का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा कि आकस्मिक विपत्र पर निकासी की गई राशि का उपयोग उसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जाएगा और खर्च नहीं हुई राशि वर्ष के 31 मार्च के पहले कोषागार में भेज दी जाएगी।

यद्यपि यह देखा गया कि वर्ष 2003–04 से 2013–14 की अवधि में 39 मामलों में ए०सी० विपत्रों पर ₹ 33.51 करोड़ की निकासी की गई परन्तु इसमें से ₹ 4.54 करोड़ की राशि को दस माह से नौ वर्ष पाँच माह की अवधि तक अनावश्यक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (**परिशिष्ट 2.12**)।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2007–08 से 2011–12 की अवधि के दौरान 12 मामलों में ए0सी0 विपत्रों पर निकासी की गई संपूर्ण राशि ₹ 3.82 करोड़ को नौ माह से सात वर्ष की अवधि तक प्रतिधारण के पश्चात प्रेषित किया गया (परिशिष्ट 2.13)।

निधि का अनियमित प्रतिधारण, विभागों को बजटीय प्रावधानों को व्यपगत होने से और राशि को वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पूर्व व्यय करने की बाध्यता से बचने में सहायक हुआ।

मामलों की सूचना विभाग को दी गई थी (जनवरी 2015 से मई 2016); उनका जवाब प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

2.5 असमाशोधित व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली 475 (viii) के अनुसार विभाग के प्रधान के लेखा में दर्शाये गए आँकड़े और महालेखाकार (ले0 एवं हक0) के खाते में दर्शाये गए आँकड़ों के समाशोधन के लिए संयुक्त रूप से विभागाध्यक्ष एवं महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार उत्तरदायी होंगे जब तक कि इसके विपरीत कोई विशेष आदेश या नियम न हो। आगे, बि0ब0ह0, 2016 के नियम, 96 (बि0ब0ह0 1963 के नियम 134) के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक आँकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक/त्रैमासिक आँकड़ों का समाशोधन महालेखाकार के लेखों के साथ कर लें। मिलान की अंतिम तिथि महालेखाकार (ले0 एवं हक0) बिहार, द्वारा 24 जून 2016 निर्धारित की गई थी।

यद्यपि, विभागीय आँकड़ों का समाशोधन नहीं किये जाने के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से इंगित किया जाता रहा है, तथापि, वर्ष 2015–16 के दौरान 76 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत विभागाध्यक्षों ने ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 10 करोड़ से अधिक) के व्यय का समाशोधन नहीं किया जैसा कि परिशिष्ट 2.14 में दर्शाया गया है। जिसमें में से ₹ 54,606.15 करोड़ (81.55 प्रतिशत) 18 मुख्य शीर्षों से संबंधित है जैसा कि तालिका 2.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.5: वर्ष 2015–16 के दौरान व्यय के समाशोधन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं0	मुख्य शीर्ष	लेखांकित व्यय	असमाशोधित राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2049—व्याज अदायगियाँ	7,079.69	6,733.16
2	2055—पुलिस	4,862.22	2,140.47
3	2071—पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	11,850.36	11,835.43
4	2202—सामान्य शिक्षा	18,429.71	2,781.49
5	2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	3,115.54	2,911.21
6	2216—आवास	1,435.68	1,435.68
7	2217—शहरी विकास	1,648.53	1,270.90
8	2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	4,055.63	3,411.75
9	2235—सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	4,316.75	4,072.49
10	2401—फसल कृषि—कर्म	1,703.80	1,453.79
11	2505—ग्राम रोजगार	1,140.83	1,129.90
12	2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	3,346.69	2,158.33
13	2801—बिजली	6,047.95	3,300.00
14	3054—सड़क तथा सेतु	1,709.07	1,293.30
15	4059—लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,038.23	1,038.23
16	4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	2,233.73	2,146.50
17	4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	1,090.75	1,090.75
18	5054—पथों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	4,402.77	4,402.77
योग		79,507.93	54,606.15

(स्रोत: कार्यालय, महालेखाकार (ले0 एवं हक0) द्वारा संकलित सूचना)

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

उपर्युक्त से यह स्पष्ट होता है कि यदि सरकार ने व्यय के समाशोधन का मुद्दा उपरोक्त वर्षित 18 विभागों से किया होता तो कुल असमाशोधित व्यय ($\text{₹ } 66,962.68$ करोड़) के 81.55 प्रतिशत का समाशोधन हो गया होता।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार आकस्मिकता निधि अधिनियम, 1950 (2012 में संशोधित) के द्वारा राज्य की आकस्मिकता निधि का सृजन किया गया। सिर्फ अपूर्वानुमानित प्रकृति के व्यय, जिसे विधानमंडल की स्वीकृति तक टाला नहीं जा सकता, के लिए निधि से अग्रिम दिया जा सकता है। यह निधि अग्रदाय प्रकृति की है। वर्ष 2015 में बिहार आकस्मिकता निधि का काय $\text{₹ } 350$ करोड़ है। हालाँकि बिहार आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के अधीन 1 अप्रैल 2015 से 30 मार्च 2016 तक की अवधि के लिये राज्य सरकार ने काय को अस्थाई रूप से बढ़ाकर $\text{₹ } 350$ करोड़ से $\text{₹ } 4,827.41$ करोड़ कर दिया जो कृषि इनपुट अनुदान, उत्तर एवं उत्तर-पूर्व जिलों में आए तुफान और अन्य प्रक्षेत्रों के लिये था। इस प्रकार बढ़ाई गई राशि में से एक तिहाई राशि का उपयोग केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत एवं पूनर्वास के उपायों के लिये किया जा सकेगा।

आकस्मिकता निधि से सम्बंधित स्वीकृति व्यय और क्षतिपूर्ति के दस्तावेजों के संवीक्षा से प्रकट हुआ कि वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से $\text{₹ } 6,117.60$ करोड़ के 139 आहरण हुए जिसमें से $\text{₹ } 2,927.07$ करोड़ के 80 आहरण, कुल आहरण का 47.85 प्रतिशत (**परिशिष्ट 2.15**), नित्य व्यय हेतु थे जैसे राज्य प्रायोजित प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति में सहभागिता, आई0सी0डी0एस0 स्थापना व्यय के आन्तरिक समायोजन, अनुबंधित शिक्षकों के वेतन भुगतान हेतु पी0एम0जी0एस0वाई0 के संवृद्धि, योजना एवं विकास विभाग के आन्तरिक समायोजन, सर्व शिक्षा अभियान के राज्यांश, सरकार पंचायत भवन, केन्द्र प्रायोजित छात्रवृत्ति का अंश (प्रत्येक मामला $\text{₹ } 100$ करोड़ या अधिक), स्वास्थ्य पोषण के कार्यान्वन, राज्य के विश्वविद्यालयों के विकास, राजीव गांधी कार्यक्रम सबला योजना के अन्तर्गत बालिकाओं का सुदृढ़ीकरण, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित बालिकाओं के साईकिल (प्रत्येक मामले $\text{₹ } 50$ करोड़ या अधिक) इत्यादि। चूंकि, इन मदों में व्यय का पूर्वानुमान किया जा सकता था, राज्य की आकस्मिकता निधि से अग्रिम की निकासी अनियमित था एवं समुचित उपयोग नहीं किया गया।

मामला वित्त विभाग को संदर्भित किया गया; उत्तर की प्रतीक्षा है।

तथापि, वर्ष 2015–16 के सभी अग्रिमों को वापस कर दिया गया था तथा वर्ष के अंत तक स्थायी काय $\text{₹ } 350$ करोड़ पर बना रहा।

2.7 कोषागारों के निरीक्षण का परिणाम

मार्च 2016 तक राज्य में कुल 73 कोषागार हैं। महालेखाकार (ले0एवं हक0) बिहार, पटना ने वर्ष 2015–16 के दौरान 25 कोषागारों का निरीक्षण किया। कोषागारों के निरीक्षण के दौरान पायी गयी कुछ अनियमितताएँ एवं त्रुटियों को उत्तरवर्ती कंडिकाओं में निर्दिष्ट की गयी हैं:

2.7.1 पेंशन/पारिवारिक पेंशन का आधिक्य भुगतान

वर्ष 2015–16 में कोषागारों के निरीक्षण से प्रदर्शित हुआ कि पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के मद में एक करोड़ रुपये का अधिक भुगतान किया गया (**परिशिष्ट 2.16**) जो कि बैंकों द्वारा पेंशन के पुनरीक्षण का त्रुटिपूर्ण नियतिकरण, पेंशन भुगतान आदेश (पी0पी0ओ0) में निर्दिष्ट अनुदेशों के बैंकों द्वारा पालन नहीं किये जाने के कारण पारिवारिक पेंशन के

समेकित पेंशन के स्थान पर उच्च दर पर नियत तिथि से आगे तक भुगतान, सारांशीकृत मूल्य के न्यूनीकृत पेंशन का विलम्ब से आरम्भ एवं अन्य विविध कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ।

2.7.2 भुगतान के पक्ष में वाउचरों को समर्पित नहीं किया जाना

बी0टी0सी0, 2011 के नियम 25 एवं 26 के बिहार कोषागार संहिता अनुसार कोषागार पदाधिकारी से अपेक्षित है कि वे निरीक्षण कर अपना समाधान कर लेंगे की महालेखाकार (ले0 एवं हक0) कार्यालय को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा के साथ भुगतान सूची और रोकड़ लेखा में सभी वाउचरों/चालानों और संबंधित अनुसूचियों को संलग्न किया गया है।

महालेखाकार द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं का संकलन बुनियादी रूप से कोषागार से प्राप्त वाउचरों एवं चालानों पर आधारित होता है।

वर्ष 2015–16 में 73 कोषागारों से 15502 मर्दों के ₹ 1,980.02 करोड़ के वाउचर प्राप्त नहीं हुए जैसा कि परिशिष्ट 2.17 में दर्शाया गया है, जिसमें से ₹ 1,165.31 करोड़ (58.85 प्रतिशत) के 634 वाउचर तीन कोषागारों (पटना विकास भवन, पटना निर्माण भवन और पटना सिंचाई भवन) से संबंधित थे।

कोषागारों के मासिक लेखाओं के साथ वाउचर को समर्पित नहीं किया जाना, वित्त और विनियोग लेखे के बनाने में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है।

2.7.3 वांछित वाउचर और अनुसूचियों की पंजी

महालेखाकार को प्रेषित किये जाने वाले मासिक लेखा के साथ संलग्न होने वाले संबद्ध अनुसूचियों के साथ सहायक वाउचरों/चालानों के निरानी के उद्देश्य से एक वांछित वाउचरों/चालानों की पंजी, प्रत्येक कोषागार में संधारित किया जाना चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान निरीक्षित 25 कोषागारों में से 18² कोषागारों में इस पंजी को संधारित नहीं किया गया।

चयनित अनुदानों की समीक्षा

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत, आधिक्य एवं माँग की विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" तथा अनुदान संख्या 39—"आपदा प्रबंधन विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितम्बर 2016)। समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8 अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" की समीक्षा

कृषि विभाग राज्य में कृषि तथा कृषिगत क्रियाकलापों के विकास के लिए मुख्य संस्था है। कृषि विभाग अपने निदेशालय तथा कृषि विश्वविद्यालय के तकनीकी मार्गदर्शक के साथ तकनीकी उन्नति के लाभों तथा शोध निष्कर्षों का कृषि संबंधी क्रियाकलापों में संलग्न व्यक्तियों तक पहुँचाने का कार्य करता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस अनुदान के अंतर्गत छ: मुख्यशीर्ष (2401, 2402, 2415, 2435, 3475 एवं 4401) प्रचालित थे।

बजटीय प्रक्रिया तथा व्यय पर नियंत्रण की समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत आधिक्य एवं माँग के विस्तार तथा पूरक माँग के आधार पर अनुदान संख्या 1—"कृषि विभाग" के संबंध में की गयी (अगस्त एवं सितम्बर 2016)।

² औरंगाबाद, बेनीपुर, बाँका, बगहा, दानापुर, दलसिंहसराय, फारविसगंज, हिलसा, जहानाबाद, किशनगंज, कटिहार, लालगंज, लखीसराय, मसौंदी, नवादा, सितामढ़ी, शिवहर और शेरधाटी।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

तालिका 2.6: वर्ष 2015–16 के लिए सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्राक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	कुल व्यय	बचत	प्रतिशतता में बचत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	2,414.82	980.13	3,394.95	1,742.85	1,652.10	48.66
पूँजीगत दत्तमत	418.42	55.78	474.20	23.39	450.81	95.07
योग	2,833.24	1,035.91	3,869.15	1,766.24	2,102.91	54.35

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विनियोग लेखा)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:

2.8.1 वृहत् बचत

राजस्व दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 3,394.95 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 1,742.85 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण ₹ 1,652.10 करोड़ (कुल प्रावधान का 48.66 प्रतिशत) की बचत हुई तथा पूँजीगत दत्तमत शीर्ष के अन्तर्गत कुल ₹ 474.20 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 23.39 करोड़ का व्यय हुआ जिसके कारण पूँजीगत शीर्ष के अंतर्गत 95.07 प्रतिशत बचत हुआ जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम आयल मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन इत्यादि के लिए था। ₹ 1,766.24 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2015–16 के कुल प्रावधान ₹ 3,869.15 करोड़ का केवल 45.65 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 2,102.91 करोड़ (54.35 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण तालिका 2.6 में दिया गया है।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016) बजट पदाधिकारी (ब०प०), कृषि विभाग ने बताया कि वृहत् बचत, योजना एवं विकास विभाग द्वारा योजना उद्द्यय में कटौती, भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होना तथा किशनगंज कृषि महाविद्यालय के कार्य में धीमी प्रगति के कारण थी।

जवाब इस तथ्य को इंगित करता है कि विभाग द्वारा निधि के प्रावधान का उचित प्राक्कलन करने में चूक हुई।

2.8.2 अनावश्यक पूरक प्रावधान

बि०ब०५०, 2016 के नियम 109 (बि०ब०५०, 1963 के नियम 117), पूरक अनुदान प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। इस नियम के अनुसार जब प्रशासनिक विभाग किसी पूरक अनुदान को आवश्यक मानता है, चाहे वह व्यय के नये विशिष्ट मद को पूरा करने के लिए हो अथवा अप्रत्याशित कारणों से दत्तमत अनुदान में संभावित आधिक्य को पूरा करने के लिए हो, इसे पहले वित्त विभाग से सम्पर्क करना चाहिए।

अभिलेखों की समीक्षा से यह प्रकट हुआ कि ₹ 159.75 करोड़ की राशि का प्रावधान पूरक प्रावधानों के जरिये मुख्य शीर्षों 2401, 2402, 2415, 2435, 3475 तथा 4401 के अन्तर्गत किया गया जबकि ₹ 822.05 करोड़ के कुल मूल प्रावधान के विरुद्ध सिर्फ ₹ 479.60 करोड़ रूपये व्यय किए गए जैसा कि परिशिष्ट 2.18 में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान उपरोक्त छ: मुख्य शीर्षों के 29 उपशीर्षों में प्राप्त कुल ₹ 159.75 करोड़ का पूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक नहीं आया।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (सितम्बर 2016), ब०प०, कृषि विभाग ने बताया कि पूरक अनुदान, विषयवार आवश्यकता के आधार पर प्रदान किया गया था।

तथापि, जवाब, मूल प्रावधान के अन्तर्गत राशि उपलब्ध रहने के बावजूद पूरक अनुदान के जरिये निधि का प्रावधान किए जाने पर मौन है।

2.8.3 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिंबोहो, 2016 के नियम 97 (बिंबोहो, 1963 के नियम 37) पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का, सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक ही अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से दुसरी इकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि विस्तृत शीर्ष “2401—00—102—0301, 2401—00—119—0001, 2401—00—789—0323, 2401—00—796—0359, 2402—00—102—0004 तथा 3451—00—090—0007” के अंतर्गत पुनर्विनियोजन के जरिये प्रदत्त ₹ 24.97 करोड़ की अतिरिक्त निधि अनावश्यक सिद्ध हुई क्योंकि कुल व्यय मूल प्रावधान से कम था। जैसा कि तालिका 2.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.7: निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	पुनर्विनि-योजन	कुल (3+4)	व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	2401—फसल कृषि कर्म—00—102—खाद्यानों की फसलें—0301—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	53.43	20.36	73.79	25.50
2	2401—फसल कृषि कर्म—00—119—बागवानी तथा वनस्पति फसलें—0001—उद्यान विकास योजना	15.82	0.07	15.89	11.36
3	2401—फसल कृषि कर्म—00—789—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—0323—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	10.32	3.90	14.22	2.91
4	2401—फसल कृषि कर्म—00—796—जन जातीय क्षेत्र उप—योजना—0359—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0.65	0.24	0.89	0.14
5	2402—मृदा एवं जल संरक्षण—00—102—मृदा संरक्षण—0004—क्षेत्रीय स्थापना	4.09	0.25	4.34	4.05
6	3451—सचिवालय आर्थिक सेवायें—00—090—सचिवालय—0007—कृषि विभाग	3.37	0.15	3.52	3.27
योग		87.68	24.97	112.65	47.23

(स्रोत: वर्ष 2015–16 का विस्तृत विनियोग लेखा एवं अनुदान अंकेक्षण पंजी)

लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर (सितम्बर 2016), बोपो, कृषि विभाग ने बताया कि विषय—वार आवश्यकता के आधार पर पुनर्विनियोजन किया गया।

तथापि, मूल प्रावधान के अंतर्गत बचत रहने के बावजूद पुनर्विनियोजन के कारणों का जवाब उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.8.4 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिंबोहो, 2016 के नियम 104 (बिंबोहो, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या समक्ष प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

₹ 3,230.87 करोड़ (92 मामलों में) के कुल प्रावधान में से ₹ 1,078.47 करोड़ (33.38 प्रतिशत) वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिन अभ्यर्पित किये गये जैसा कि परिशिष्ट 2.19 में दर्शाया गया है।

अध्याय-II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), ब0प0, कृषि विभाग ने बताया कि क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अवशेष राशि का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हुआ, इसके उपरान्त इसे मुख्यालय स्तर पर संकलित किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन अभ्यर्पित किया गया।

2.8.5 निधि के अनुपयोग के कारण शत-प्रतिशत अभ्यर्पण

वर्ष 2015–16 के दौरान मूल प्रावधान, पूरक प्रावधान एवं अभ्यर्पण से संबंधित अभिलेखों की संखीक्षा से प्रकट हुआ कि चार मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 17 उपशीर्षों का ₹ 469.98 करोड़ का संपूर्ण प्रावधान अनुपयोगित रहा तथा इसे पूर्णतः अभ्यर्पित किया गया जैसा कि परिशिष्ट 2.20 में दर्शाया गया है।

शत-प्रतिशत अभ्यर्पित राशि में से, चार मामलों (क्र0सं0 3,11,12 तथा 15) में 78.91 प्रतिशत (₹ 370.85 करोड़), ऐग्री बिजिनेस इन्क्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेन्ट परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा राष्ट्रीय बागवानी मिशन से संबंधित था।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर (सितम्बर 2016), ब0प0, कृषि विभाग ने बताया कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय निधि विमुक्त न किये जाने के कारण निधि की स्वीकृति नहीं की जा सकी तथा राज्य योजनान्तर्गत ऐग्रीकल्चरल मार्केटिंग तथा राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को सहायक अनुदान एवं वाह्य संपोषित परियोजना की स्वीकृति नहीं हो सकी।

2.9 अनुदान संख्या-39 “आपदा प्रबंधन विभाग” की समीक्षा

आपदा प्रबंधन विभाग राज्य में राहत संचालन के प्रबंधन हेतु मुख्य संस्था है। इस अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्यतः पाँच शीर्ष (2070, 2235, 2245, 2251 और 4250) संचालित थे।

बजटीय प्रक्रिया एवं व्यय पर नियंत्रण से संबंधित समीक्षा वर्ष 2015–16 के दौरान बचत आधिक्य और माँग के विस्तार तथा पूरक माँग के परिणाम के आधार पर अनुदान संख्या 39—“आपदा प्रबंधन विभाग” के संबंध में की गयी (अगस्त और सितंबर 2016)।

तालिका 2.8: वर्ष 2015–16 के दौरान सारांशीकृत विनियोग की स्थिति

(₹ करोड़ में)

बजट प्रावक्कलन	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	कुल प्रावधान (2+3)	कुल व्यय	बचत	बचत में प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
राजस्व दत्तमत	557.02	2,244.28	2,801.30	394.55	2,406.75	85.92
पूंजीगत दत्तमत	0.40	0.00	0.40	0.11	0.29	72.50
योग	557.42	2,244.28	2,801.70	394.66	2,407.04	85.91

(स्रोत: विनियोग लेखा, वर्ष 2015–16)

समीक्षा के परिणाम निम्नवत है:—

2.9.1 वृहत् बचत

वर्ष 2015–16 के अभिलेखों के जाँच में प्रकट हुआ कि वर्ष के दौरान राजस्व दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 2,801.30 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 394.55 करोड़ का व्यय और पूंजीगत दत्तमत शीर्ष के अंतर्गत ₹ 0.40 करोड़ के कुल प्रावधान के विरुद्ध ₹ 0.11 करोड़ का व्यय हुआ। ₹ 394.66 करोड़ का समग्र व्यय वर्ष 2015–16 के कुल प्रावधान ₹ 2,801.70 करोड़ का केवल 14.09 प्रतिशत था जिसके कारण ₹ 2,407.04 करोड़ (85.91 प्रतिशत) की वृहत् बचत हुई जिसका विवरण तालिका 2.8 में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.2 निधि का अनावश्यक पुनर्विनियोजन

बिंब०ह०, 2016, के नियम 97 (बिंब०ह०, 1963 के नियम 37) पुनर्विनियोजन को एक विशेष धन राशि का सक्षम पदाधिकारी द्वारा एक की अनुदान के अंतर्गत विनियोजन की एक इकाई से अन्य ईकाई के अंतर्गत विशिष्ट व्यय को पूरा करने हेतु निधि के हस्तांतरण के रूप में परिभाषित करता है।

वर्ष 2015–16 के पुनर्विनियोजन से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि पुनर्विनियोजन के जरिए प्रदत्त ₹ 39.04 करोड़ का प्रावधान पूर्णतः अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय (₹ 55.14 करोड़), मूल प्रावधान (₹ 315.28 करोड़) से कम था जैसा कि परिशिष्ट 2.21 में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.3 (i) वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन निधि का अभ्यर्पण

बिंब०ह०, 2016 के नियम 104 (बिंब०ह०, 1963 के नियम 112) के अनुसार जो व्यय स्पष्ट रूप से दृष्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा पहले से स्वीकृत नहीं हो, उसके अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए बचत की कोई रकम आरक्षित नहीं रखी जानी चाहिए। बचतों को वर्तमान वर्ष के 15 फरवरी तक अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अपवाद स्वरूप स्थितियों में अभ्यर्पण वर्तमान वर्ष के 31 मार्च तक भी किया जा सकता है।

₹ 43.09 करोड़ (10 मामलों में) के कुल प्रावधान में से ₹ 12.19 करोड़ (28.29 प्रतिशत) का अभ्यर्पण वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिन किया गया था जैसा कि परिशिष्ट 2.22 में दर्शाया गया है। अभ्यर्पित राशि मुख्यतः सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय, प्रशासनिक सेवाओं, सचिवालय सामाजिक सुरक्षा एवं प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत के उपायों से संबंधित योजनाओं से संबद्ध थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.3 (ii) वित्त विभाग द्वारा अस्वीकृत अभ्यर्पित राशि

आपदा प्रबंधन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंतिम दिवस तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् ₹ 468.65 करोड़ की राशि के अभ्यर्पण का प्रस्ताव दिया। परन्तु उपर्युक्त अभ्यर्पण को वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया जिस कारण बचत की राशि व्यपगत हो गई एवंम् सरकार निधि को अन्य जरूरतमंद शीर्षों में पुनर्विनियोजन से वंचित रह गयी जैसा कि तालिका 2.9 में दर्शाया गया है।

**तालिका 2.9: वित्त विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की गयी व्यपगत/अभ्यर्पित राशि
(₹ करोड़ में)**

शीर्ष	पत्र सं० जिसके द्वारा अभ्यर्पण प्रस्तावित था	तिथि	अभ्यर्पण की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)
2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1789	03/05/2016	15.16
2245- प्राकृतिक आपदा के कारण राहत 01- सूखा और उनका राहत 02- बाढ़, चक्रवात इत्यादि 06- भूकम्प	1395	31/03/2016	445.81
2235-01-200-0004- मूदा अपवर्द्धन के कारण विस्थापितों को हुई भूमि की क्षति के लिए सहायक अनुदान	1388	31/03/2016	7.68
योग			468.65

(स्रोत: आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त सूचना)

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.4 अनुपयोगिता प्रावधान

2015–16 की अवधि के लिए किए गए मूल प्रावधानों, पूरक प्रावधानों तथा बचतों से संबंधित अभिलेखों की संवेदना से यह प्रकट हुआ कि 'प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत' से संबंधित 33 उपशीर्षों में कुल ₹ 80.46 करोड़ रूपये का प्रावधान पूर्णरूपेण अव्ययित रह गया जैसा कि **परिशिष्ट 2.23** में दर्शाया गया है।

यह दर्शाता है कि विभाग आपदा के लिए प्रावधान की आवश्यकता को अभिगम करने में असफल रहा तथा यह पूरी तरह से अनुमानों पर आधारित था।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.9.5 विभागीय व्यय ऑकड़ों का समाशोधन नहीं होना

बिहार वित्तीय नियमावली का नियम 475 (viii) निर्दिष्ट करता है कि विभागाध्यक्ष द्वारा संधारित लेखाओं में दिये गये ऑकड़ों को महालेखाकार (ले० एवं हक०) की पंजी के ऑकड़ों से मिलान के लिए विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होते हैं जब तक की किसी मामले में इसके विपरीत में कोई विशेष नियम या आदेश न हो। इसके अतिरिक्त बि०ब०ह०, 2016 नियम, 96 (बि०ब०ह०, 1963 के नियम 134) के अनुसार नियंत्री अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने नियंत्रणाधीन संवितरण अधिकारियों से प्राप्त मासिक ऑकड़ों को समेकित करने के बाद, मासिक / त्रैमासिक ऑकड़ों का समाशोधन महालेखाकार के लेखों के साथ कर लें। महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, द्वारा समाशोधन की अंतिम तिथि 24 जून 2016 निर्धारित की गयी थी।

तथापि, विभाग द्वारा उचित समाशोधन नहीं किया गया, जिसके कारण पाँच मुख्य शीर्षों के अधीन ₹ 871.67 करोड़ रूपये की राशि के व्यय में अन्तर था जैसा कि **परिशिष्ट 2.24** में दर्शाया गया है।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (सितंबर 2016), उनका जवाब अप्राप्त है।

2.10 निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अनुचित बजट प्राक्कलन के कारण वृहत् बचत

- वर्ष 2015–16 के दौरान ₹ 1,48,312.57 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध वृहत् बचत ₹ 35,013.80 करोड़ (23.61 प्रतिशत) था जो अनुचित बजट अनुमान को दर्शाता है। विगत पाँच वर्षों के दौरान ₹ 50 करोड़ और अधिक के सतत् बचत 10 विभागों में सूचित हुई।

सरकारी विभागों में बजटीय नियत्रण तंत्र को वृहत् बचत से बचने के लिए सुदृढ़ किया जाना चाहिए विशेषतः जहाँ बचत सतत् रूप से हो और पूरक अनुदानों के अभिग्रहण से बचा जा सके जो अव्यवहृत रह जाए।

निधि का अभ्यर्पण

- ₹ 35,013.80 करोड़ के कुल बचत में से केवल ₹ 24,455.96 करोड़ (69.85 प्रतिशत) ही अभ्यर्पित की गई। वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन (31 मार्च 2016) को अभ्यर्पित राशि (₹ 15,913.45 करोड़) था, जो कुल अभ्यर्पित राशि का 65.07 प्रतिशत था। यह भी पाया गया कि 38 अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत 182 योजनाओं में शत्-प्रतिशत निधियों (कुल ₹ 5,133.94 करोड़) का अभ्यर्पण किया गया।

सरकार को उचित कारणों को उल्लेखित करते हुए निधि का अभ्यर्पण सम्मय करना चाहिए ताकि निधि का उपयोग अन्य शीर्षों में किया जा सके।

पूर्ववर्ती वर्षों के प्रावधान से आधिक्य का अपेक्षित नियमितिकरण

- वर्ष के दौरान प्रावधानित राशि से आधिक व्यय की गई राशि ₹ 119.01 करोड़ के आधिक्य व्यय को भारतीय संविधान की धारा 205 के तहत नियमितिकरण कराना अपेक्षित था। इसके अतिरिक्त पूर्ववर्ती वर्षों से संबंधित ₹ 1,065.07 करोड़ का नियमितिकरण कराना बाकी था।

पूर्ववर्ती वर्षों के आधिक्य व्यय के नियमितिकरण के लिए सरकार को समुचित कारबाई करना चाहिए।

विभागीय आँकड़ों का असमाशोधन

- वर्ष 2015–16 के दौरान नियंत्री पदाधिकारियों ने महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार के पुस्त के साथ 76 मुख्य शीर्षों के तहत ₹ 66,962.68 करोड़ (प्रत्येक मामले में 10 करोड़ से अधिक) का समाशोधन नहीं किया। कुल 21116 निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों (डी०डी०ओ०) में से 3317 (16 प्रतिशत) डी०डी०ओ० ने ही अपने लेखाओं का समाशोधन मार्च 2016 तक किया था।

नियंत्री पदाधिकारियों को अपने व्ययित आँकड़ों को प्रत्येक माह महालेखाकार (ले० एवं हक०) के पुस्त के साथ मिलान करना चाहिए।

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

- वर्ष 2015–16 के दौरान आकस्मिकता निधि से ₹ 6,117.60 करोड़ के 139 आहरण हुए थे। जिसमें से ₹ 2,927.07 करोड़ (47.85 प्रतिशत) के 80 आहरण नित्य व्यय के प्रयोजन हेतु थे। इसमें ₹ 897.07 करोड़ (16 आहरण), शिक्षा विभाग के संविदा शिक्षकों के वेतन इत्यादि पर व्यय, ₹ 640 करोड़ (3 आहरण) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा प्री-मैट्रीक छात्रवृत्ति के राज्यांश इत्यादि के लिए और ₹ 600.88 करोड़ (8 आहरण) सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा स्थापना व्यय, शामिल था।

सिर्फ अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय के निर्वहन के लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया जाना चाहिए।

कृषि तथा आपदा प्रबंधन विभागों में बजटीय नियंत्रण में कमी

- मूल प्रावधान में वृहद बचत (कृषि विभाग में 54.25 प्रतिशत और आपदा प्रबंधन विभाग में 85.91 प्रतिशत) के बावजूद अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोजन के जरिए विभागों द्वारा निधियों का प्रबंधन किया गया। फिर भी विभागों द्वारा बचतों को ससमय अभ्यर्पित नहीं किया गया।

कृषि और आपदा प्रबंधन विभागों द्वारा बजट नियमावली के प्रावधानों का पालन विभाग के बजट अनुश्रवण प्रणाली को अपनाकर करना चाहिए।

